	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
25	पत्रावली आज पेश हुई जार द्वारा तामील किया गया है। अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24.2.25 को पेश की जावे	
1.2.25	पत्रावली आज पेश हुई पी. ओ. साहब आज दौरे पर पधारे है अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक...... 9.4.25 को पेश की जावे	
9.4.25	पत्रावली पेश हुई SDO सा. अवकाश मे पधारे है। अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12.6.25 को पेश हो।	
12.6.25	पत्रावली आज पेश हुई पी. ओ. साहब आज दौरे पर पधारे है अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक...... 23.7.25 को पेश की जावे	
23.7.25	पत्रावली पेश हुई SDO सा. अन्य कार्य मे व्यस्त है। अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 1.9.25 को पेश हो।	
1.9.25	पत्रावली आज पेश हुई आर द्वारा तामील किया गया है। अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27.10.25 को पेश की जावे	
27.10.25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे तहसीलदार बेगू से पूर्व मे प्राप्त फर्द बटवारा रियोर्ट पर वकील वादी की एकतरफा बहस सुनी गई. दावा फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार आनीमडिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखी जाकर शामील पत्रावली कि गई पत्रावली मे डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगू को दि जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

ालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस

ावा सं0 : 80/2020

1:– हेमा पिता वरदा जी जाति धाकड उम्र बालिग निवासी गोपालपुरा तहसील बेगूं
(तर्क देहावसान हो जाने से)
2:– शंभूलाल पिता हेमा जाति धाकड उम्र बालिग निवासी गोपालपुरा तहसील बेगूं
3:– मुरली कुमार पिता शंभूलाल धाकड निवासी गोपालपुरा तहसील बेगूं

.... वादी

– बनाम –

1:– हीरीबाई पत्नी रतनलाल जाति धाकड उम्र बालिग निवासी गोपालपुरा तहसील बेगूं
2:– घीसालाल पिता चुन्नीलाल जाति धाकड उम्र बालिग निवासी गोपालपुरा तह0 बेगूं
3:– नन्दलाल पिता चुन्नीलाल जाति धाकड उम्र बालिग निवासी गोपालपुरा तह0 बेगूं
4:– बालूराम मु0 लखमा जी जाति धाकड उम्र बालिग निवासी गोपालपुरा तह0 बेगूं
5:– गोपाल पिता नन्दा जी जाति धाकड उम्र बालिग निवासी गोपालपुरा तह0 बेगूं
6:– सीताबाई पत्नी श्यामलाल जाति धाकड उम्र बालिग निवासी गोपालपुरा तह0 बेगूं
7:– तहसीलदार साहब भूमिधारी जी तहसील कार्यालय बेगूं

.......प्रतिवादीगण

उपस्थित :: कैलाशचन्द्र मंत्री
अधिवक्ता वादी
अनुपस्थित
अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय दिनांक : 27.10.2025

निर्णय वाद अ0धा0 53 राज0का0अधि0

वादी की ओर से वाद अ0धा0 53 राज0का0अधि0 का अधिवक्ता श्री कैलाशचन्द्र मंत्री द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया है कि–

यह कि ग्राम गोपालपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील वेगूं की वर्तमान जमावंदी सम्वत -76 खाता संख्या 105 खातेदार हीरीवाई पत्नी रतनलाल घीसालाल नंदलाल पिता चुन्नीलाल पिता वरदा शंभूलाल पिता हेमा गोपाललाल पिता नंदा गीतावाई पत्नी श्यामलाल वालूराम

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
101	0.0700
102	0.0700
103	0.0500
104	0.1300
105	0.1500
106	0.1500
107	0.0700
108	0.0400
110	0.0700
111	0.0500
135	0.2200
172	0.5600
173	0.0700
174	0.0700
175	0.0700
176	0.0700
177	0.0400
178	0.0400
179	0.0300
180	0.0700
181	0.1400
186	0.1900
187	0.2400
189	0.1500
190	0.3600
191	0.3500
192	0.1100
193	0.0600
194	0.3200
195	0.1600
196	0.1600
197	0.1200
198	0.1600
199	0.1900
200	0.1600
201	0.1200
202	0.1200
203	0.1200
204	0.2300
205	0.0400

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
206	0.0300
207	0.0400
208	0.0500
209	0.0700
210	0.0700
211	0.0500
212	0.0400
213	0.0400
214	0.1200
215	0.3100
216	0.1000
217	0.1100
218	0.3500
219	0.1100
224	0.1000
227	0.1900
228	0.0800
243	0.1000
244	0.0900
245	0.0200
246	0.1300
247	0.1000
252	0.1500
253	0.0200
273	0.1000
274	0.0800
275	0.0200
278	0.1700
279	0.0700
286	0.1300
324	0.3900
325	0.1400
326	0.1200
327	0.1200
328	0.1200
329	0.1300
330	0.1300

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
331	0.0900
332	0.1600
333	0.1500
334	0.0700
335	0.0700
336	0.1600
337	0.1900
338	0.0600
429	0.0200
430	0.1800
457	0.0600
458	0.0400
459	0.0600
460	0.0800
478	0.0400
479	0.1000
480	0.0400
481	0.0400
482	0.1000
483	0.0300
494	0.2600
योग किता 98	कुल 11.7800 है0

मुतबन्ना लखमा धाकड सा0 देह खातेदार में निम्नलिखित आराजियात अंकित स्थित है :-

यह कि वादपत्र में वर्णित आराजियात मूल रूप से बरदा जी की थी जिनके पॉच पुत्र चुन्नीलाल किशना लखमा हेमा एवं डूंगा होने से सभी भाईयों का समान हक हिस्सा विद्यमान था एवं इसी अनुसार आपसी सहमति से मौके पर हिस्सा मुताबिक पृथक पृथक काश्त करते आ रहे थे । चुन्नीलाल जी के बजाय उनके वारिस प्रतिवादी सं0 1 से 3, किशना के स्थान पर किषना की पुत्री नानीबाई से खरीद से प्रतिवादी संख्या 5 व 6, लखमा के स्थान पर उनका दत्तक पुत्र प्रतिवादी सं0 4, वादी हेमा स्वयं एवं डूंगा का हिस्सा वादी सं0 2 द्वारा खरीद लेने से वादी सं0 2 काश्तकार खातेदार काबिज हुए है । अब वादी सं0 1 हेमा का देहावसान हो जाने से व वादी सं0 3 के पक्ष में दान करने से वर्तमान में उक्त आराजियात में वादी सं0 2 का हिस्सा 74/285 एवं वादी सं0 3 का हिस्सा 8/57 , प्रतिवादी सं0 1 से 3 का हिस्सा 1/5, प्रतिवादी सं0 4 का हिस्सा 1/5 एवं प्रतिवादी सं0 5 व 6 का हिस्सा 1/5 निहित है, मौके पर सभी आपसी सहमति से अर्सा कदीम से किये हुए वाहमी बॅटवाडा अनुसार उक्त हिस्सानुसार मौके पर काबिज हो पृथक पृथक काष्त करते आये हैं एवं वर्तमान में भी कर रहे है।

यह कि वादपत्र में वर्णित आराजीयात में वादी सं0 2 का हिस्सा 74/285 एवं वादी सं0 3 का हिस्सा 8/57 कुल हिस्सा 2/5 है, दोनों के पिता पुत्र होने से मौके पर एक चक विभाजन में

हुआ हो, हिस्सा 2/5 पर दोनों संयुक्त काश्त कर रहे है एवं अपने हिस्सा भूमि पर मौके पर ... होने से वादी सं0 1 व 2 ने काबिल काश्त बनाई एवं काफी विकास कर खर्चा किया हुआ है। ...दीगण का पृथक हिस्सा पर वादीगण अर्सा कदीम से शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है एवं आज भी कर रहे है।

यह कि नानीबाई पिता किशना का हिस्सा प्रतिवादी सं0 5 व 6 द्वारा खरीद कर लेने से एवं प्रतिवादी सं0 3 से 6 के मन में बदनियति आ जाने से ये पूर्व में वादीगण की विभाजित हिस्सा आराजीयात में दखलंदाजी करने लगे तो वादीगण ने इन्हें पाबंद कराने की कार्यवाही कराई जव माने, इन्हें तहसील कार्यालय में चल कर आपसी सहमति से मौके पर काविज अनुसार विभाजन करा लेने बाबत दिनांक 25.06.2020 को कहा तो इन्होंने मना कर दिया जिससे वादीगण को यह वाद वास्ते मौके पर काबिज अनुसार भूमि का वादीगण का हिस्सा 2/5 जरिये विभाजन पृथक किये जाने बाबत प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है।

अतः वादीगण न्यायालय से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करता है—

(अ) कि पक्ष वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री प्रदान की जावे कि वादपत्र में वर्णित आराजीयात में वादीगण का हिस्सा 2/5 जरिये विभाजन मौके पर काबिज अनुसार एवं हिस्सानुसार पृथक किया जाकर राजस्व रिकार्ड में पृथक से दर्ज किया जावे।

(ब) कि अन्य कोई सहायता जो सुलभ वादीगण हो प्रदान की जावे।

वाद अ0धा0 53 राज0का0अधि0 का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन से तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 से 6 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए जिससे इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तदोपरांत वादी की ओर से स्वयं वादी के साक्ष्यवादी में बयान कलमबद्ध करा दस्तावेज प्रदर्श कराये गये। दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोकन में पाया कि वादपत्र में अंकित वाद वर्णित आराजी में वादी सं0 2 का हिस्सा8/57 व 3 का हिस्सा 74/285 इस प्रकार संयुक्त हिस्सा 2/5 दर्ज है,जिसका वादीगण विभाजन कराने का अधिकारी पाये जाते है। इसी हिस्सा अनुसार विभाजन किया जाना न्यायसंगत है।

अतः वाद वादी का अंतर्गत धारा 53 राज0का0अधि0 का स्वीकार किया जाता है। मौजा ग्राम गोपालपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील बेगूं की वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2073—76 खाता संख्या 105 (खाता सं0 111 सम्वत 2078) में अंकित आराजीयात किता 98 रकबा 11. 7800 हैक्टर भूमि में वादी सं0 2 व 3 का संयुक्त हिस्सा (वादी सं0 2 का 8/57 व वादी सं0 3 का 74/285)2/5एवं शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का बदस्तुर जमाबंदी रखते हुए आराजी का विभाजन किए जाने हेतु तहसीलदार बेगूं को 1500/—रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूं को पालनार्थ दी जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे निर्णयानुसार आराजी का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार करते हुए मूल नक्शा ट्रेस दो प्रति में इस न्यायालय में पेश करे।

उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगूॅ के पत्र कमांक/राजस्व /2025/892 दिनांक 06.10.2025 से फर्द बंटवारा इस न्यायालय को भिजवाई गई जिस पर उभय पक्ष की बहस को ध्यान पूर्वक सुना गया अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को सही होना स्वीकार करते हुए दावा अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया है। फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा वादी का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द वंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा गोपालपुरा हल्का दौलतपूरा की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है।

...ी मुरलीकुमार पिता शम्भूलाल हिस्सा 768/2189, शम्भूलाल पिता हेमा हिस्सा 1421/2189 ...ड सा. देह खातेदार रहन बैंक ऑफ वडौदा शाखा बेंगूं सूलीमगरा

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
101	0.0700
106	0.1500
107	0.0700
108	0.0400
172 मेसे	0.2500
173	0.0700
174	0.0700
180	0.0700
181	0.1400
198	0.1600
199	0.1900
203	0.1200
204	0.2300
205	0.0400
212	0.0400
213	0.0400
215	0.3100
216	0.1000
217	0.1100
218	0.3500
243	0.1000
244	0.0900
245	0.0200
246	0.1300
247	0.1000
274	0.0800
275	0.0200
286	0.1300
324 मेसे	0.1700
325 मेसे	0.0300
327	0.1200
328	0.1200
330 मेसे	0.0580
331	0.0900
332	0.1600
333 मेसे	0.1100
334 मेसे	0.0500
478	0.0400
479	0.1000
480	0.0400
किता– 40	4.3780 है.

2– अनमोल पुत्र श्यामलाल हि. 41/6567, गीताबाई पति स्व. श्यामलाल हि. 1135/6567, गोपाललाल पुत्र नन्दा हि.1337/6567, घीसालालपुत्र चुन्नीलाल हि. 729/6567, ना.बा.नक्ष पुत्र श्यामलाल संरक्षक माता गीताबाई हि. 41/6567, बालुराम पुत्र लखमा हि. 2189/6567, मन्जुबाई पुत्री नन्दलाल हि. 243/6567, ना.बा. संजना पुत्री श्यामलाल संरक्षक माता गीताबाई हि. 41/6567, ना.बा. साक्षी पुत्री श्यामलाल संरक्षक माता गीताबाई हि. 41/6567, सोनिया पुत्री श्यामलाल संरक्षक माता गीताबाई हि. 41/6567, हीरीबाई पति रतनलाल हि. 729/6567, धाकड सा. देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा बेंगूं सूलीमगरा हिस्सा 1135/6567 गीताबाई का, रहन एच.डी.एफ.सी. शाखा बेंगूं हिस्सा 1337/6567 गोपाललाल का, रहन आई.सी.आई.सी.आई शाखा बेंगूं हिस्सा बालुराम का

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
102	0.0700
103	0.0500
104	0.1300
105	0.1500
110	0.0700
111	0.0500
172 मेसे	0.3100
175	0.0700
176	0.0700
177	0.0400
178	0.0400
179	0.0300
186	0.1900
187	0.2400
189	0.1500
190	0.3600
191	0.3500
192	0.1100
193	0.0600
194	0.3200
195	0.1600
196	0.1600
197	0.1200
200	0.1600
201	0.1200
202	0.1200
206	0.0300
207	0.0400
208	0.0500
209	0.0700
210	0.0700
211	0.0500
224	0.1000
227	0.1900
228	0.0800
252	0.1500
253	0.0200
278	0.1700
279	0.0700
324 मेसे	0.1950
325 मेसे	0.1100
326	0.1200
329	0.1300
330 मेसे	0.0720
333 मेसे	0.0400
334 मेसे	0.0200
335	0.0700
336	0.1600
337	0.1900
338	0.0600
429	0.0200
430	0.1800
457	0.0600
458	0.0400
459	0.0600
460	0.0800
481	0.0400
482	0.1000
483	0.0300
किता–59	6.5670 है.

3– अनमोल पुत्र श्यामलाल हि. 1/270, गीताबाई पति स्व. श्यामलाल हि. 14/135, गोपाललाल पुत्र नन्दा हि. 11/90, घीसालालपुत्र चुन्नीलाल हि. 1/15, ना.बा.नक्ष पुत्र श्यामलाल संरक्षक माता गीताबाई हि. 1/270, बालुराम पुत्र लखमा हि. 1/5, मन्जुबाई पुत्री नन्दलालहि. 1/45, मुरलीकुमार

शम्भूलाल हिस्सा 8/57, शम्भूलाल पिता हेमा हिस्सा 74/285, ना.बा. संजना पुत्री श्यामलाल ...क माता गीताबाई हि. 1/270, ना.बा. साक्षी पुत्री श्यामलाल संरक्षक माता गीताबाई हि. /270, ना.बा. सोनिया पुत्री श्यामलाल संरक्षक माता गीताबाई हि. 1/270, हीरीबाई पति रतनलाल हि. 1/15, धाकड सा. देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा बेंगू सूलीमगरा हिस्सा 14/135 गीताबाई का, मुरलीकुमार 8/57, शम्भूलाल 74/285, रहन एच.डी.एफ.सी. शाखा बेंगू हिस्सा 11/90 गोपाललाल का, रहन आई.सी.आई.सी.आई शाखा बेंगू हिस्सा 1/5 बालुराम का

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	
135	0.2200	बाडा
214	0.1200	आ.चा.
219	0.1100	रास्ता
324मेसे	0.0250	--
कीता- 04	0.4750 हैक्टर	

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेंगू

मूलवाद में अंकित डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चित्तौडगढ़ (राज0)

वा सं0 : 80/2020

1:– हेमा पिता वरदा जी जाति धाकड उम्र बालिग नि. गोपालपुरा तहसील बेगूं (तर्क देहावसान हो जाने से)
2:– शंभूलाल पिता हेमा जाति धाकड उम्र बालिग निवासी गोपालपुरा तहसील बेगूं
3:– मुरली कुमार पिता शंभूलाल धाकड निवासी गोपालपुरा तहसील बेगूं

.... वादी

– बनाम –

1:– हीरीबाई पत्नी रतनलाल जाति धाकड उम्र बालिग निवासी गोपालपुरा तहसील बेगूं
2:– घीसालाल पिता चुन्नीलाल जाति धाकड उम्र बालिग निवासी गोपालपुरा तह0 बेगूं
3:– नन्दलाल पिता चुन्नीलाल जाति धाकड उम्र बालिग निवासी गोपालपुरा तह0 बेगूं
4:– बालूराम मु0 लखमा जी जाति धाकड उम्र बालिग निवासी गोपालपुरा तह0 बेगूं
5:– गोपाल पिता नन्दा जी जाति धाकड उम्र बालिग निवासी गोपालपुरा तह0 बेगूं
6:– सीताबाई पत्नी श्यामलाल जाति धाकड उम्र बालिग निवासी गोपालपुरा तह0 बेगूं
7:– तहसीलदार साहब भूमिधारी जी तहसील कार्यालय बेगूं

.......प्रतिवादीगण

निर्णय अंतिम डिक्री वाद पत्र अ0धा0 53 राज0काश्त0अधि0

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री के.सी.मंत्री की उपस्थिति में तथा प्रतिवादी की ओर कोई नही एक तरफा आदेश में वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 27.10.2025 को पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूं के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा अंतिम डिक्री किया जाता है:–

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा गोपालपुरा हल्का दौलतपुरा की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है।

1– श्री मुरलीकुमार पिता शम्भूलाल हिस्सा 768/2189, शम्भूलाल पिता हेमा हिस्सा 1421/2189 धाकड सा. देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा बेगूं सूलीमगरा

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
101	0.0700
106	0.1500
107	0.0700
108	0.0400
172 मेसे	0.2500
173	0.0700
174	0.0700
180	0.0700
181	0.1400
198	0.1600
199	0.1900
203	0.1200
204	0.2300
205	0.0400
212	0.0400
213	0.0400
215	0.3100
216	0.1000
217	0.1100
218	0.3500
243	0.1000
244	0.0900
245	0.0200
246	0.1300
247	0.1000
274	0.0800
275	0.0200
286	0.1300
324 मेसे	0.1700
325 मेसे	0.0300
327	0.1200
328	0.1200
330 मेसे	0.0580
331	0.0900
332	0.1600
333 मेसे	0.1100
334 मेसे	0.0500
478	0.0400
479	0.1000
480	0.0400
किता– 40	4.3780 है.

2– अनमोल पुत्र श्यामलाल हि. 41/6567, गीताबाई पति स्व. श्यामलाल हि. 1135/6567, गोपाललाल पुत्र नन्दा हि.1337/6567, घीसालालपुत्र चुन्नीलाल हि. 729/6567, ना.बा.नक्ष पुत्र श्यामलाल संरक्षक माता गीताबाई हि. 41/6567, बालुराम पुत्र लखमा हि. 2189/6567, मन्जुबाई पुत्री नन्दलाल हि. 243/6567, ना.बा. संजना पुत्री श्यामलाल संरक्षक माता गीताबाई हि. 41/6567, ना.बा. साक्षी पुत्री श्यामलाल संरक्षक माता गीताबाई हि. 41/6567, सोनिया पुत्री श्यामलाल संरक्षक माता गीताबाई हि. 41/6567, हीरीबाई पति रतनलाल हि. 729/6567, धाकड सा. देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा बेंगूँ सूलीमगरा हिस्सा 1135/6567 गीताबाई का, रहन एच.डी.एफ.सी. शाखा बेंगूँ हिस्सा 1337/6567 गोपाललाल का, रहन आई.सी.आई.सी.आई शाखा बेंगूँ हिस्सा बालुराम का

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
102	0.0700
103	0.0500
104	0.1300
105	0.1500
110	0.0700
111	0.0500
172 मेसे	0.3100
175	0.0700
176	0.0700
177	0.0400
178	0.0400
179	0.0300
186	0.1900
187	0.2400
189	0.1500
190	0.3600
191	0.3500
192	0.1100
193	0.0600
194	0.3200
195	0.1600
196	0.1600
197	0.1200
200	0.1600
201	0.1200
202	0.1200
206	0.0300
207	0.0400
208	0.0500
209	0.0700
210	0.0700
211	0.0500
224	0.1000
227	0.1900
228	0.0800
252	0.1500
253	0.0200
278	0.1700
279	0.0700
324 मेसे	0.1950
325 मेसे	0.1100
326	0.1200
329	0.1300
330 मेसे	0.0720
333 मेसे	0.0400
334 मेसे	0.0200
335	0.0700
336	0.1600
337	0.1900
338	0.0600
429	0.0200
430	0.1800
457	0.0600
458	0.0400
459	0.0600
460	0.0800
481	0.0400
482	0.1000
483	0.0300
किता–59	6.5670 है.

3– अनमोल पुत्र श्यामलाल हि. 1/270, गीताबाई पति स्व. श्यामलाल हि. 14/135, गोपाललाल पुत्र नन्दा हि. 11/90, घीसालालपुत्र चुन्नीलाल हि. 1/15, ना.बा.नक्ष पुत्र श्यामलाल संरक्षक माता गीताबाई हि. 1/270, बालुराम पुत्र लखमा हि. 1/5, मन्जुबाई पुत्री नन्दलालहि. 1/45, मुरलीकुमार

शम्भूलाल हिस्सा 8/57, शम्भूलाल पिता हेमा हिस्सा 74/285, ना.बा. संजना पुत्री श्यामलाल क्षक माता गीताबाई हि. 1/270, ना.बा. साक्षी पुत्री श्यामलाल संरक्षक माता गीताबाई हि. /270, ना.बा. सोनिया पुत्री श्यामलाल संरक्षक माता गीताबाई हि. 1/270, हीरीबाई पति रतनलाल हि. 1/15, धाकड सा. देह खातेदार रहन बैंक ऑफ वडौदा शाखा बेंगू सूलीमगरा हिस्सा 14/135 गीताबाई का, मुरलीकुमार 8/57, शम्भूलाल 74/285, रहन एच.डी.एफ.सी. शाखा बेंगू हिस्सा 11/90 गोपाललाल का, रहन आई.सी.आई.सी.आई शाखा बेंगू हिस्सा 1/5 बालुराम का

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	
135	0.2200	बाडा
214	0.1200	आ.चा.
219	0.1100	रास्ता
324मेसे	0.0250	---
कीता– 04	0.4750 हैक्टर	

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं

क्रमांक/सरिश्ता/2025/ 864 दिनांक :– 29-10-25

दावा संख्या 80/2020 व अनवान हेमा बनाम हीरी वगै वाद अ0धा0 53 आर.टी.एक्ट में जारी अंतिम डिकी की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूं को दी जाती है ।

नक्शा ट्रेस सलग्न

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं